

श्रम न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवाद

4551. श्री छोटे सिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम न्यायालयों में पश्चिमी रेलवे से संबंधित लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन विवादों में से ऐसे कितने विवाद हैं जिनके लिए रेलवे प्रशासन ने वकीलों की नियुक्ति कर ली है ;

(ग) इन मामलों के लिए वकीलों को नियुक्त करने के बजाय रेलवे के कानूनी सहायको तथा कुछ विधि अधिकारियों को प्रतिनियुक्त क्यों नहीं किया गया है ; और

(घ) रेलवे द्वारा प्रत्येक मुकदमे के लिए वकील नियुक्त करने में औसतन कितना खर्च किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) एक सौ अठ्ठावन ।

(ख) एक सौ बयालीस ।

(ग) पश्चिम रेलवे पर केवल एक विधि अधिकारी है और सीमित संख्या में विधि सहायक हैं, जिन्हें सभी किस्म के न्यायालय के मामलों से संबंधित परामर्श का काम सौंपा गया है, इसलिये वे श्रम न्यायालयों के सम्मुख उपस्थित होने की स्थिति में नहीं हैं । तदनुसार उन मामलों में, जिनमें संबंधित विरोधी दलों द्वारा अधिवक्ता तैनात किये जाते हैं, श्रम न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से पेश होने के लिए रेल प्रशासन अधिवक्ताओं को तैनात करता है ।

(घ) केवल पचास रुपये ।

Number of Factory Workers

4552. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LABOUR be pleased to state the total population (1971 census) and the average daily number of factory workers in the States of West Bengal, Maharashtra,

Gujarat, Tamil Nadu and Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): The required information is as under:—

States	Total population (1971 census.)	Average daily number of factory workers in 1978 (provisional)
	(figures in 1000)	(figures in 100)
1. West Bengal	4,43,12	8,56
2. Maharashtra	5,04,12	11,26
3. Gujarat	2,66,97	5,65
4. Tamil Nadu	4,11,99	5,57
5. Andhra Pradesh	4,35,03	4,5

Allegations against certain Officers of the Mechanical Engineering Department

4553. SHRI M. M. LAWRENCE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there were certain serious allegations of corruption against certain officers of the Mechanical Engineering Department, Cochin Port regarding the docking for repairing of fire float "Bahadur" and water barge "Tapaj" in a private repair yard;

(b) whether it is a fact that the estimates for repairs were exceeded many times;

(c) whether any enquiry has been made into the matter; and

(d) if so, the findings thereof and what action has been taken against the officers concerned?